



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2019/श्रावण 2, 1941

No. 422]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2019/SHRAVANA 2, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 522(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (1) (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

- कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
- आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, टोल एवं आइटी), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे अथवा jspb-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।
- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसके बाद उक्त नियम के रूप में उल्लिखित) में

i) नियम 115ख में, पैरा खख के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'खग ओ.ई. या परिवर्तित, दुहरे ईंधन या समर्पित दुहरे ईंधन (3.5 टन से कम सकल यान भार वाले वाहनों के लिए), दुहरे ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) या जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस (बायो-सीएनजी) या तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) से युक्त डीज़ल वाले वाहन.-

(l) 3.5 टन से कम सकल यान भार वाले ओ.ई. सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन या समर्पित दुहरे ईंधन वाले वाहनों के लिए

(क) नए डीज़ल वाहनों में वाहन विनिर्माता द्वारा सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी लगाए जाने के मामले में वाहन विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित प्रत्येक मॉडल उसके प्रयोग के स्थान के संबंध में नई श्रेणी के वाहनों के लिए यथा अनुप्रयोज्य प्रचलित द्रव्यमान उत्सर्जन मानकों के अनुसार टाइप अनुमोदित किया जाएगा। दुहरे ईंधन इंजन के लिए परीक्षण अनुप्रयोज्यता संबंधित अपेक्षाएं प्रचलित मानदंडों के अनुसार अनुप्रयोज्य परीक्षण चक्र में आंकी गई गैस ऊर्जा अनुपात (जीईआर) पर आधारित होंगी। जीईआर का वर्गीकरण एमओआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115/116 (समय-समय पर यथा संशोधित) और अनुप्रयोज्य विधि के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाएगा।

परंतु कि विशेष इंजन क्षमता के लिए अनुमोदित ओई सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन वाहन को यथा-अनुप्रयोज्य इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुपालन में आधार मॉडल और इसके प्रकार में संस्थापित किया जा सकता है;

(ख) इन नियमों के अंतर्गत कण तत्वों और दृष्टिगोचर प्रदूषकों (धुआं) के उत्सर्जन के लिए परीक्षण दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी इंजन/वाहन के लिए अनुप्रयोज्य होंगे।

(ग) मौजूदा सी ओ पी प्रक्रिया भी अनुप्रयोज्य होगी।

(घ) दुहरे ईंधन मोड के लिए भी डीज़ल मोड हेतु प्रचलित द्रव्यमान उत्सर्जन और ओ बी डी मानदंड अनुप्रयोज्य होंगे।

(ङ.) सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन इंजनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक भी इस अपवाद के साथ कि एचसी को माप आधार पर एनएमएचसी (नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, डीज़ल इंजनों के लिए यथा-अनुप्रयोज्य मानक होंगे।

(ii) 3.5 टन से कम सकल यान भार वाले सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन या समर्पित दुहरे ईंधन वाले वाहन, प्रयोगरत डीज़ल वाहनों के इंजनों का संशोधन करके परिवर्तन हेतु-

(क) प्रयोगरत डीज़ल वाहनों के इंजनों में संशोधन करके सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी ईंधन परिवर्तन के लिए टाइप अनुमोदन वाहन के विशिष्ट मेक एवं मॉडल हेतु प्रदान किया जाएगा तथा निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों के अध्यधीन अपने विनिर्माण के तदनुसूची वर्ष में डीज़ल वाहनों के टाइप अनुमोदन मानदंडों को पूरा किया जाएगा;-

(ख) विशिष्ट इंजन क्षमता के लिए वाहन के संबंध में सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दोहरी ईंधन किट को उसी क्षमता के इंजन के साथ फिट किए गए आधार मॉडल और उसके प्रकार पर संस्थापित किया जा सकता है;

(ग) केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण एजेंसी को टाइप अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए वाहनों द्वारा इन नियमों के अंतर्गत यथा-अनुप्रयोज्य फिटनेस अपेक्षा का अनुपालन किया जाना होगा;

(घ) नियम 115 के तहत कण तत्वों और दृष्टिगोचर प्रदूषकों (धुआं) के उत्सर्जन के लिए प्रचलित और अनुप्रयोज्य परीक्षण दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी इंजन या वाहन के लिए अनुप्रयोज्य होंगे।

(ड.) दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी परिचालन के लिए संशोधित किए गए यांत्रिक रूप से नियंत्रित एवं इलैक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित डीज़ल ईंधन अंतःक्षेपित वाहनों के लिए पृथक टाइप अनुमोदन अपेक्षित है।

(च) सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन इंजनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक भी इस अपवाद के साथ कि एचसी को माप आधार पर एनएमएचसी (नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, डीज़ल इंजनों के लिए यथा-अनुप्रयोज्य मानक होंगे।

स्पष्टीकरण- संशोधन करके 'ओई या प्रयोगरत' वाहनों के परिवर्तन के मामले में- (क) ओ ई के रूप में दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी इंजन (डीज़ल इंजन से परिवर्तित) से युक्त वाहन, या 'प्रयोगरत' डीज़ल वाहनों का संशोधन करके परिवर्तन के लिए टाइप अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ परीक्षण एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निष्पादन परीक्षण किए जाएंगे, अर्थात्;

तालिका

क्र. सं.	परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
(1)	(2)	(3)
1.	दुहरे ईंधन सीएनजी/बायो-सीएनजी/एलएनजी वाहनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण डीज़ल वाहनों के लिए यथा अनुप्रयोज्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार किए जाएंगे।	एमओआरटीएच / सीएमवीआर / टीएपी - 115 / 116 और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं।
2.	इंजन निष्पादन परीक्षण	एमओआरटीएच / सीएमवीआर / टीएपी - 115 / 116 या आइएस:14599-1999 (यथा अनुप्रयोज्य) और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं।
3.	ग्रेडियेबिलिटी परीक्षण	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार
4.	ईंधन खपत परीक्षण	13 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना सां. आ. 1365 (अ) का क्रम संख्या 31
5.	वैद्युत चुंबकीय अनुकूलता (ईएमसी)/ईएमआइ परीक्षण	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार
6.	केवल दुहरी ईंधन प्रणाली वाली बसों पर कम से कम 250 किमी का रेंज परीक्षण	एआइएस:55
7.	शीतलन परीक्षण	आइएस : 14557, 1998

नोट : द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण यथा प्रयोज्य या तो इंजन डायनेमोमीटर या चेसिस डाइनेमोमीटर पर किया जाएगा।

(क) दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी यानों के लिए परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशानिर्देश और संव्यवहार संहिता, उसकी संस्थापना सहित किट घटक, संगत बीआईएस विनिर्देशन के अधिसूचित होने तक, समय समय पर यथा संशोधित एआईएस - 024 और एआईएस - 028 (संशोधन-1) के अनुसार होगा;

(ख) 'प्रयोगरत' यानों पर ओ.ई. फिटमेंट और रिट्रो फिटमेंट / परिवर्द्धन के लिए प्रकार अनुमोदन की जिम्मेदारी यान विनिर्माता और किट विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता की होगी; प्रयोगरत

(ग) रिट्रो फिटमेंट के लिए सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी का दुहरे इंजन किट प्रकार अनुमोदन उसके निर्गम की तिथि से तीन वर्ष के लिए वैध होगा और एक बार में तीन वर्ष के लिए नवीकरणीय होगा;

(घ) प्रयोगरत यानों में सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन किट का रिट्रो फिटमेंट किट विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता या वाहन विनिर्माता, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत कर्मशालाओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा;

ii) नियम 115 एच में,-

- (क) हाशिया शीर्षक में, शब्दों और आंकड़ों "एम15 या एम100 और मेथनॉल एमडी 95" को "एम15 या एम100 या एम85 और मेथनॉल एमडी95" शब्दों और आंकड़ों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा
- (ख) उप-नियम (1) में शब्दों और आंकड़ों "गैसोलीन या गैसोलीन में 15 प्रतिशत मेथनॉल का मिश्रण (एम15) या 100 प्रतिशत मेथनॉल (एम100)" को शब्दों और आंकड़ों "गैसोलीन या गैसोलीन में 15 प्रतिशत मेथनॉल का मिश्रण (एम15) या पचासी प्रतिशत मेथनॉल मिश्रण (एम85) या 100 प्रतिशत मेथनॉल (एम100)द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा";
- (ग) उप-नियम (3) में शब्दों और आंकड़ों "एम15 / एम100 / एमडी95" को शब्दों और आंकड़ों "एम15 / एम85 / एम100 / एमडी95" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) उप-नियम 4 में
- (1) तालिका 1 में पंक्ति में क्र. सं. 1 और 2 में और कॉलम तीन में शब्दों और आंकड़ों "गैसोलीन और (एम85 या एम100) ईंधन दोनों पर" को, "गैसोलीन और (एम15 या एम85 या एम100) ईंधन दोनों पर (प्रचलित बीएस-IV या बीएस-VI गैसोलीन उत्सर्जन मानदंड के अनुसार) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा"
 - (2) तालिका 1 में पंक्ति में क्र. सं. 6 और कॉलम तीन में शब्दों और आंकड़ों "गैसोलीन और एम 15 या एम 100 ईंधन" दोनों पर को "गैसोलीन और (एम 15 या एम 85 या एम 100) ईंधन दोनों पर " द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (3) तालिका 2 में पंक्ति में क्र. सं. 1 और कॉलम तीन में शब्दों और आंकड़ों "गैसोलीन और एम15 या एम100 ईंधन दोनों पर" को "गैसोलीन और (एम15 या एम85 या एम100 ईंधन) (प्रचलित बीएस-IV या बीएस-VI गैसोलीन उत्सर्जन मानदंड के अनुसार)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (4) तालिका 2 में पंक्ति में क्र. सं. 6 और कॉलम तीन में शब्दों और आंकड़ों "गैसोलीन और एम 15 या एम 100 ईंधन दोनों पर" को "गैसोलीन और एम 15 या एम 85 या एम 100 दोनों" ईंधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (5) नोट में;
 - (क) खंड में क्र. सं. 5 में शब्दों और आंकड़ों "एम15, एम100 और एमडी95" को शब्दों और आंकड़ों "एम15, एम85, एम100 और एमडी95" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) खंड में क्र. सं. 6 में शब्दों और आंकड़ों "एम15, एम100 और एमडी95" को शब्दों और आंकड़ों "एम15, एम85, एम100 और एमडी95" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ग) खंड में क्र. सं. 6 में शब्दों और आंकड़ों "अनुलग्नक IV- य और अनुलग्नक IV - यक" को शब्दों और आंकड़ों "अनुलग्नक IV- य और अनुलग्नक IV - यक और अनुलग्नक - यख" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) खंड में क्र. सं. 6 में शब्दों और आंकड़ों "गैसोलीन और (एम 15 या एम 100)" को शब्दों और आंकड़ों "गैसोलीन और (एम 15 या एम 85 या एम 100)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

iii) अनुलग्नक IV- जेडए और तदधीन संबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित अनुलग्नक अंतःस्थापित किया जाएगा -

अनुलग्नक IV-जेडबी

(नियम 115ज देखें)

संदर्भ ईंधन एम85 के तकनीकी विनिर्देश

	प्रतिमानक	इकाई	सीमा ¹		परीक्षण विधि
			न्यूनतम	अधिकतम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रिसर्च ओक्टेन संख्या, आरओएन		107.0	109.0	ईएन आईएसओ 5164
2	मोटर ओक्टेन संख्या, एमओएन		99.0	104.0	ईएन आईएसओ 5163
3	घनत्व 15 ⁰ सेंटीग्रेड पर	किग्रा / एम ³	रिपोर्ट		आईएसओ 3675
4	वाष्प का दबाव	केपीए	48.0	62.0	ईएन आईएसओ 13016-1 (डीवीपीई)
5	सल्फर सामग्री ^{3,4}	मिग्रा/किग्रा	-	160	ईएन आईएसओ 20846 ईएन आईएसओ 20884
6	ऑक्सीकरण स्थिरता	मिनट	360	-	ईएन आईएसओ 7536
7	विद्यमान गोंद सामग्री (धोया गया विलायक)	मिग्रा / (100 मिली.)	-	20	ईएन आईएसओ 6246
8	इथेनॉल और उच्चतर अल्कोहल ⁷	% वी/वी	80	84	ईएन 1601 ईएन 13132 ईएन 14517
9	उच्चतर अल्कोहल (सी3-सी8)	% वी/वी	-	2.0	एएसटीएमडी 5797
10.	पेट्रोल ⁵	% वी/वी	शेष		ईएन 228
11.	फास्फोरस	मिग्रा/।	0.2 ⁶		एएसटीएमडी 3231
12.	पानी की मात्रा	% वी/वी			एएसटीएमई 1064
13.	अकार्बनिक क्लोराइड की मात्रा	मिग्रा/।	---	1	आईएसओ 6227
14.	पीएचई		3.0	6.0	एएसटीएमडी 6243
15.	कॉपर स्ट्रिप क्षरण (50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 घंटे)	रेटिंग	क्लास 1		ईएन आईएसओ 2160
16.	अम्लता, (एसीटिक एसिड सीएच3सीओओएच के रूप में)	% एम/एम (मिग्रा/ली)	-	0.006 (50)	एएसटीएमडी 1613
17.	कार्बन / हाइड्रोजन अनुपात		रिपोर्ट		
18.	कार्बन / ऑक्सीजन अनुपात		रिपोर्ट		

1. विनिर्देशों में कोट किया गया मूल्य "वास्तविक मूल्य" हैं। उनके सीमा मानों की स्थापना करने में आईएसओ 4249 पेट्रोलियम उत्पादों के निबंधनानुसार परीक्षणों की विधियों के सम्बन्ध में सही आंकड़ों का अवधारण और अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त किया गया है तथा न्यूनतम मूल्य नियत करनेमें शून्य से ऊपर 2 आर के न्यूनतम अंतर को ध्यान में रखा गया है; अधिकतम और न्यूनतम मूल्य को नियत करने में न्यूनतम अंतर 4 आर है (आर = पुनरोत्पादकता)। इस माप के होते हुए भी, जो कि तकनीकी कारणों के लिए आवश्यक है, तथापि, ईंधन विनिर्माता का लक्ष्य शून्य मूल्य पर होगा। जहाँ पर निर्धारित अधिकतम मूल्य 2आर है तथा अधिकतम एवं न्यूनतम सीमाओं के मामले के कोटेशनों में यह औसत मान पर है। यदि यह स्पष्ट करना आवश्यक हो कि क्या ईंधन विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करता है तो आईएसओ 4249 की शर्तें लागू होंगी।
2. विवाद के मामले में, विवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया तथा ईएन आईएसओ 4259 में वर्णित सही परीक्षण विधि पर आधारित परिणामों के निर्वचन का प्रयोग किया जाएगा।
3. सल्फर की मात्रा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विवाद के मामले में, या तो ईएन आईएसओ 20846 या ईएन आईएसओ 20884 का प्रयोग किया जाएगा।
4. टाइप-1 परीक्षण के लिए प्रयुक्त ईंधन की वास्तविक सल्फर मात्रा के बारे में रिपोर्ट की जाएगी।
5. लेडरहित पेट्रोल की मात्रा का 100 में से जल और एल्कोहन की कुल प्रतिशत मात्रा को घटा कर अवधारित किया जा सकता है।
6. इस संदर्भ ईंधन में फास्फोरस, लोहा, मैंगनीज या लेड को अन्तर्विष्ट करने वाले यौगिकों में साशय कुछ भी मिलाया नहीं जाएगा।

iv) नियम 115ज के बाद, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः:-

"115 I. डि-मिथाइल ईथर (डीएमई या डी100) यानों के लिए द्रव्य उत्सर्जन मानक:-

- (1) नए विनिर्मित यान, जो संपीडन इंजन से सुसज्जित हैं जो डीजल या सौ प्रतिशत डिमिथाइल ईथर (डी100) पर चलाए जाने के लिए संगत (जिसे इसमें इसके पश्चात् डीएमई यान कहा गया है) हैं, लागू डीजल उत्सर्जन मानकों के अनुसार अनुमोदित किस्म होगी।
- (2) डीएमई या डी100 स्तर के अनुरूपता यान को यान विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और उसका यान पर स्पष्ट रूप से दृश्य स्टीकर चस्पा करके प्रदर्शन किया जाएगा।
- (3) विभिन्न वर्ग के यानों के लिए किस्म अनुमोदन तथा विस्तार के लिए परीक्षण अपेक्षाएं क्रमशः सारणी 1, सारणी 2 और सारणी 3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

सारणी 1

3,500 किलोग्राम से कम या बराबर के सकल यान वजन वाले चार पहिया यान के लिए किस्म अनुमोदन और विस्तार हेतु परीक्षण अपेक्षाएं

क्र.सं. (1)	परीक्षण (2)	डीएमई यान (3)
1.	गैसीय प्रदूषक (किस्म 1 परीक्षण)	डीजल और डी100 ईंधन (प्रचलित उत्सर्जन मानकों के अनुसार)
2.	निर्वात त्वरण धुआँ (किस्म 2 परीक्षण)	
3.	टिकाउपन (प्रकार V), यदि नियत क्षरण कारक (डीएफ) के स्थान पर विकल्प चुना हो	केवल डीजल ईंधन पर
4.	आन बोर्ड निदान (ओबीडी II)	डीजल और डी100 दोनों ईंधनों पर

सारणी 2**तीन पहिया यानों के लिए किस्म अनुमोदन और विस्तार हेतु परीक्षण अपेक्षाएं**

क्र.सं. (1)	परीक्षण (2)	डीएमई यान (3)
1.	गैसीय प्रदूषक (किस्म 1 परीक्षण)	डीजल और डी100 ईंधन (प्रचलित उत्सर्जन मानकों के अनुसार)
2.	निर्वाह त्वरण धुओं (किस्म 2 परीक्षण)	
3.	टिकाउपन (प्रकार V), यदि नियत क्षय कारक (डीएफ) के स्थान पर विकल्प चुना हो	केवल डीजल ईंधन पर

सारणी 3**3,500 किलोग्राम से अधिक सकल यान वजन वाले चार पहिया यान के लिए किस्म अनुमोदन और विस्तार हेतु परीक्षण अपेक्षाएं**

क्र.सं. (1)	परीक्षण (2)	डीएमई यान (3)
1.	गैसीय प्रदूषक (किस्म 1 परीक्षण)	डीजल और डी100 ईंधन (प्रचलित उत्सर्जन मानकों के अनुसार)
2.	निर्वाह त्वरण धुओं (किस्म 2 परीक्षण)	
3.	टिकाउपन (प्रकार V), यदि नियत क्षय कारक (डीएफ) के स्थान पर विकल्प चुना हो	केवल डीजल ईंधन पर
4.	आन बोर्ड निदान (ओबीडी II)	डीजल और डी100 दोनों ईंधनों पर

टिप्पण :-

1. बृहत्त उत्सर्जन परीक्षण समय-समय पर यथासंशोधित MoRTH/CMVR/TAP-115/116 अंक 4 और यथा लागू इसके बाद के अंकों और संशोधनों, जैसा कि लागू हैं, किया जाएगा और गैस संघटक घनत्वों से निकास गैस घनत्व, हाइड्रोजन-कार्बन-आक्सीजन अनुपात और ईंधन उपयोग सूत्र को अनुपातों को किस्म अनुमोदन प्रक्रिया में संघटक घनत्वों का निकास गैस घनत्व के साथ अद्यतन किया जाएगा।
2. यान विनिर्माता यान को किस्म अनुमोदन के लिए नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी भी परीक्षण अभिकरण को प्रस्तुत करेगा।
3. 3.5 टन या उससे कम सकल यान भार वाले डीएमई यानों का परीक्षण लागू डीजल यान उत्सर्जन चालन चक्र का उपयोग करते हुए चैसिस डायनोमीटर पर किया जाएगा। 3.5 टन से अधिक सकल यान भार वाले डी100 ईंधन यानों का परीक्षण लागू डीजल यान उत्सर्जन चालन चक्र का उपयोग करते हुए चैसिस डायनोमीटर पर किया जाएगा।
4. डीएमई यानों का परीक्षण इन नियमों के अनुलग्नक IV-एस में विनिर्दिष्ट निर्देश ईंधन (आईएसओ 16861:2015 के अनुसार) के साथ किया जाएगा।

5. उत्पादन परीक्षण के लागू होने की पुष्टि के लिए समय-समय पर यथासंशोधित MoRTH/CMVR/TAP-115/116 अंक 4 और इसके बाद के अंकों या संशोधनों, जैसा कि लागू हो, और लागू परीक्षणों के लिए ईंधन अपेक्षाओं के लिए सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 को निर्दिष्ट करें।
6. उत्पादन आवर्ती और नमूनाकरण की पुष्टि समय-समय पर यथासंशोधित MoRTH/CMVR/TAP-115/116 अंक 4 या और इसके बाद के अंकों या संशोधनों, जैसा कि लागू हो, की अपेक्षाओं के अनुसार यान की श्रेणी के अनुसार की जाएगी।
7. क्षय कारक लागू उत्सर्जन मानकों के अनुसार यान श्रेणियों के अनुसार होंगे।

अनुलग्नक IV-जेडसी

[नियम 115। देखें]

संदर्भ ईंधन डीएमई या डी100 के तकनीकी विनिर्देशन

क्र.सं.	लक्षण	आवश्यकता (अधिकतम)	इकाईयां	परीक्षण विधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डीएमई शुद्धता	98.5	द्रव्यमान का %	आईएसओ 16861: 2015
2	मिथेनॉल	0.05	द्रव्यमान का %	आईएसओ 17196:2014.
3	पानी	0.03	द्रव्यमान का %	आईएसओ 17197:2014.
4	सी4 तक हाईड्रोकार्बन	1.00	द्रव्यमान का %	आईएसओ 17196:2014
5	कार्बन डाईऑक्साइड	0.10	द्रव्यमान का %	आईएसओ 17196:2014
6	कार्बन मोनोक्साइड	0.010	द्रव्यमान का %	आईएसओ 17196:2014
7	मिथाइल फॉर्मेट	0.05	द्रव्यमान का %	आईएसओ 17196:2014
8	इथाइल मिथाइल ईथर	0.20	द्रव्यमान का %	आईएसओ 17196:2014
9	वाष्पीकरण अवशेष	0.0070	द्रव्यमान का %	आईएसओ 17786:2015
10	कुल सल्फर	3.0	मिग्रा/किग्रा	आईएसओ 17198:2014.

[फा.सं. आरटी-11028/02/2017-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) दिनांक 2 जून 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उन्हें अधिसूचना सं. सा.का.नि..... (अ), दिनांक द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2019

G.S.R. 522(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by subsection (1)(g) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Toll and IT), email : jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2019.
 - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules).
 - i) in rule 115B, after Para BB, the following Para shall be inserted, namely; -

“BC. O.E. or Converted, Dual Fuel or Dedicated Dual Fuel (for vehicles GVW below 3.5 T), Vehicles having Diesel with Compressed Natural Gas (CNG) or Bio-Compressed Natural Gas (Bio-CNG) or Liquefied Natural Gas (LNG) as dual fuel.-

 - (I) For O.E. CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel or dedicated dual fuel vehicles having GVW below 3.5 T
 - (a) In case of CNG or Bio-CNG or LNG fitments by vehicle manufacturers on new diesel vehicles, each model manufactured by vehicle manufacturers shall be type approved as per the prevailing mass emission norms as applicable for the category of new vehicles in respect of the place of its use. The test applicability requirements for dual fuel engine shall be depending on the Gas Energy Ratio (GER) measured over test-cycle applicable as per prevailing norms. GER classification shall be as per MoRTH/CMVR/TAP-115/116 (as amended from time to time) and notifications issued by the central Government from time to time under the applicable law.

Provided that the O.E. CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel engine approved for specific engine capacity may be installed on the base model and its variant complying with the requirements under these rules as applicable;
 - (b) tests for particulate matter and emission of visible pollutants (smoke) under these rules shall be applicable for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG engine/vehicle;
 - (c) Prevailing COP procedure will also be applicable;
 - (d) Prevailing mass emission and OBD norms stipulated in rule 115 for diesel mode shall also be applicable for dual fuel mode.
 - (e) Mass emission standards for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel engines/vehicles shall be same as are applicable for diesel engines/vehicles with exception that HC shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis.
 - (II) For CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel or dedicated dual fuel vehicles having GVW below 3.5 T, conversion by modification of engines of in-use diesel vehicles. –
 - (a) Type approval for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel conversion by modification of engines of in-use diesel vehicles shall be given for specific make and model of vehicle and shall meet

applicable type approval norms of diesel vehicles corresponding to the year of manufacture of such diesel vehicle(s).

- (b) CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel kit approved on the vehicle for specific engine capacity can be installed on the base model and its variant fitted with the same capacity engine.
- (c) Vehicles offered for type approval to the testing agency referred to in rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall have to comply with the fitness requirement, as applicable under these rules.
- (d) Prevailing and applicable tests for particulate matter and emission of visible pollutants (smoke) provided under rule 115 shall be applicable for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG engine or vehicle.
- (e) Separate type approval is required for mechanically controlled and electronically controlled diesel fuel injected vehicles when modified for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG operation.
- (f) Mass emission standards for CNG or Bio CNG or LNG dual fuel engines or vehicles shall be same as are applicable for diesel engines/vehicles with exception that HC shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis.

Explanation. - In the case of OE or conversion of “In-Use” vehicles by modification. – (a) for the purpose of granting type approval to the vehicle fitted with dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG engine (converted from diesel engine) as O.E., or conversion by modification of “In-use” diesel vehicles, performance tests shall be carried as per Table given below by the test agencies, namely: -

TABLE

Sl. No.	Test	Reference Document
(1)	(2)	(3)
1.	Mass emission tests for dual fuel CNG/Bio-CNG/LNG vehicles shall be as per prevailing norms, as applicable for diesel vehicles.	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications issued by Government of India in this respect.
2.	Engine performance test	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 or IS:14599-1999(as applicable) and notifications issued by Central Government in this respect.
3.	Gradeability test	In accordance with notification issued under rule 124 of Central Motor Vehicles Rules, 1989.
4.	Fuel consumption test	SL No 31 of Notification No S.O. 1365 (E) dated 13 th December, 2004.
5.	Electromagnetic Compatibility(EMC)/EMI test	In accordance with notification issued under rule 124 of Central Motor Vehicles Rules, 1989.
6.	Range test of at least 250 kms for buses on dual fuel mode only	AIS:55
7.	Cooling performance	IS: 14557,1998

Note: Mass emission tests shall be carried out on chassis dynamometer, as applicable

- (a) Test procedure and safety guidelines and code of practice for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG vehicles, kit components including installation thereof, shall be as per AIS-024 and AIS-028(Rev.1), as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified;
- (b) For O.E. fitment and retro fitment or modification on “In-Use” vehicles the responsibility of type approval shall be that of vehicle manufacturer and kit manufacturer or supplier respectively;
- (c) The type approval certificate of CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel kit for retro fitment shall be valid for three years from date of issue and shall be renewable for three years at a time;

- (d) The retro fitment of duly type approved CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel kits on in-use vehicles shall be carried out by workshops authorized by the kit manufacturer or supplier or vehicle manufacturers, as the case may be.

ii) in rule 115 H;

- (a) in the margin heading the words and numbers “M15 or M100 and Methanol MD 95 ” shall be substituted by words and numbers “M15 or M100 or M85 and Methanol MD 95”
- (b) in sub rule (1) the words and numbers “gasoline or a mixture of 15 percent methanol in gasoline (M15) or 100 percent methanol (M100)” shall be substituted by words and numbers “gasoline or a mixture of 15 per cent methanol in gasoline (M15) or up to eighty-five per cent methanol blend (M85) or 100 percent methanol (M100)”;
- (c) in sub rule (3) the words and numbers “M15/M100/MD95” shall be substituted by words and numbers “M15/M85/M100/MD95”;
- (d) in sub rule 4
- (1) in table 1 in row at sr. no. 1. and 2. and column three words and numbers “On both Gasoline and (M85 or M100) fuel)” shall be substituted by “On both gasoline and (M15 or M85 or M100) fuel (As per prevailing BS-IV or BS-VI gasoline emission norms)”
- (2) in table 1 in row at sr. no. 6. and column three words and numbers “On both Gasoline and M15 or M100 fuel)” shall be substituted by “On both Gasoline and (M15 or M85 or M100) fuel”
- (3) in table 2 in row at sr. no. 1 and column three words and numbers “On both gasoline and M15 or M100 fuel)” shall be substituted by “On both gasoline and (M15 or M85 or M100) fuel (As per prevailing BS-IV or BS-VI gasoline emission norms)”
- (4) in table 2 in row at sr. no. 6 and column three words and numbers “On both Gasoline and M15 or M100 fuel)” shall be substituted by “On both Gasoline and (M15 or M85 or M100) fuel”
- (5) In the notes;
- (A) in the clause at sr. no. 5, the words and numbers “M15,M100 and MD95” shall be substituted by words and numbers “M15,M85,M100 and MD95”;
- (B) in the clause at sr. no. 6, the words and numbers “M15,M100 and MD95” shall be substituted by words and numbers “M15,M85,M100 and MD95”;
- (C) in the clause at sr. no 6, the words and numbers “Annexure IV- Z and Annexure IV – ZA” shall be substituted by words and numbers “Annexure IV- Z and Annexure IV – ZA and Annexure – ZB”;
- (D) in the clause at sr. no. 6, the words and numbers “gasoline and (M15 or M100)” shall be substituted by words and numbers “gasoline and (M15 or M85 or M100)”;

- iii) after ANNEXURE IV-ZA and the entries relating there under, the following Annexure shall be inserted, namely:-

ANNEXURE IV-ZB
[See rule 115 H]
Technical specifications of the reference fuel M85

Sr. No.	Parameter	Unit	Limits ¹		Test method ²
			Minimum	Maximum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Research octane number, RON		107.0	109.0	EN ISO 5164
2.	Motor octane number, MON		99.0	104.0	EN ISO 5163
3.	Density at 15 °C	kg/m ³	Report		ISO 3675
4.	Vapour pressure	kPa	48.0	62.0	EN ISO 13016-1

					(DVPE)
5.	Sulphur content ^{3,4}	mg/kg	-	160	EN ISO 20846 EN ISO 20884
6.	Oxidation stability	minutes	360		EN ISO 7536
7.	Existent gum content (solvent washed)	mg/(100 ml)	-	20	EN-ISO 6246
8.	Ethanol and higher alcohols ⁷	% V/V	80	84	EN 1601 EN 13132 EN 14517
9.	Higher alcohols (C3-C8)	% V/V	-	2.0	ASTM D 5797
10.	Petrol ⁵	% V/V	Balance		EN 228
11.	Phosphorus	mg/l	0.2 ⁶		ASTM D 3231
12.	Water content	% V/V		0.5	ASTM E 1064
13.	Inorganic chloride content	mg/l		1	ISO 6227
14.	pHe		3.0	6.0	ASTM D 6423
15.	Copper strip corrosion (3h at 50 °C)	Rating	Class 1		EN ISO 2160
16.	Acidity, (as acetic acid CH ₃ COOH)	% m/m (mg/l)	-	0.006 (50)	ASTM D 1613
17.	Carbon/hydrogen ratio		report		
18.	Carbon/oxygen ration		report		

1. The values quoted in the specifications are "true values". In establishment of their limit values the terms of ISO 4259 Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test have been applied and in fixing a minimum value, a minimum difference of 2R above zero has been taken into account; in fixing a maximum and minimum value, the minimum difference is 4R (R = reproducibility). Notwithstanding this measure, which is necessary for technical reasons, the manufacturer of fuels shall nevertheless aim at a zero value where the stipulated maximum value is 2R and at the mean value in the case of quotations of maximum and minimum limits. Should it be necessary to clarify whether a fuel meets the requirements of the specifications, the terms of ISO 4259 shall be applied.
2. In case of dispute, the procedure for dissolving the dispute and interpretations of the results based on test method precision, describe in EN ISO 4259 shall be used.
3. In case of national dispute concerning sulphur content, either EN ISO 20846 or EN IS) 20884 shall be called up.
4. The actual sulphur content of the fuel used for the Type I Test shall be reported.
5. The unleaded petrol content can be determined as 100- minus the sum of the percent content of water and alcohol.
6. There shall be no intentional addition of compounds containing phosphorus, iron, manganese, or lead to this reference fuel.

iv) after rule 115H, the following rule shall be inserted, namely:—

“115 I. Mass emission standards for Di-Methyl Ether (DME or D100) Vehicles.-

- (1) The newly manufactured vehicles fitted with compression ignition engine compatible to run on diesel or hundred per cent Di-Methyl Ether (D100) (hereinafter referred to as DME vehicle), shall be type approved as per prevailing diesel emission norms.
- (2) The compatibility of vehicle to level of DME or D100 shall be specified by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a sticker.
- (3) Test requirements for the type approval and extension for different classes of vehicles are specified in Table 1, Table 2 and Table 3 below, respectively:

Table 1
Test requirements for type approval and extension for Four Wheeled Vehicles with Gross Vehicle Weight less than or equal to 3,500 kg

Sr. No.	Test	DME vehicle
(1)	(2)	(3)
1.	Gaseous pollutants (Type I test)	On Diesel and D100 fuel (As per prevailing emission norms)
2.	Free acceleration smoke (type II Test)	
3.	Durability (Type V), if opted for instead of fixed Deterioration Factor (DF)	Only on Diesel fuel
4.	Onboard diagnostics (OBD II)	On both Diesel and D100 fuel

Table 2
Test requirements for type approval and extension for three wheeled vehicles

Sr. No.	Test	DME vehicle
(1)	(2)	(3)
1.	Gaseous pollutants (Type I test)	On Diesel and D100 fuel (As per prevailing emission norms)
2.	Free acceleration smoke (type II Test)	
3.	Durability (Type V), if opted for instead of fixed Deterioration Factor (DF)	Only on Diesel fuel

Table 3
Test requirements for type approval and extension for Four Wheeled Vehicles with Gross Vehicle Weight greater than 3,500 kg

Sr. No.	Test	Flex-fuel methanol vehicle
(1)	(2)	(3)
1.	Gaseous pollutants (Type I test)	On Diesel and D100 fuel (As per prevailing emission norms)
2.	Free acceleration smoke (type II Test)	
3.	Durability (Type V), if opted for instead of fixed Deterioration Factor (DF)	Only on Diesel fuel
4.	Onboard diagnostics (OBD II)	On both Diesel and D100 fuel

Notes:-

- Mass emission tests shall be carried out as per MoRTH/CMVR/TAP-115/116 Issue 4 and its subsequent issues or amendments, as applicable, and suitable updation of the ratio of gas component densities to exhaust gas density, hydrogen-carbon-oxygen ratio and fuel consumption formula shall be done in type approval procedure.
- Vehicle manufacturer shall submit the vehicle to any of the test agencies specified in rule 126, for type approval.
- DME vehicles with Gross Vehicle Weight less than or equal to 3.5 ton shall be tested on chassis dynamometer using the prevailing diesel vehicle emission driving cycle. D100 fuel vehicles with Gross Vehicle Weight greater than 3.5 tonne shall be tested on engine dynamometers using the prevailing diesel engine emission driving cycle.
- DME vehicles shall be tested with reference fuel (as per ISO 16861:2015) specified in Annexure IV-S to these rules.
- For Conformity of Production test applicability, refer to MoRTH/CMVR/TAP-115/116 Issue 4 and its subsequent issues or amendments, as applicable; and for fuel requirement for applicable tests, refer to

above Table 1, Table 2 and Table 3.

6. The Conformity of Production frequency and sampling shall be as per requirements given in MoRTH/CMVR/TAP-115/116 Issue 4 and its subsequent issues or amendments, as applicable, according to category of vehicle.
 7. Deterioration factors shall be as per prevailing emission norms, according to the vehicle categories.
- v) after ANNEXURE IV-ZB and the entries relating there under, the following Annexure shall be inserted, namely:-

ANNEXURE IV-ZC
[See rule 115 I]

Technical specifications of the reference fuel DME or D100

Sr. No.	Characteristic	Requirement (Maximum)	Units	Test Method
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DME Purity	98.5	% by mass	ISO 16861: 2015
2	Methanol	0.05	% by mass	ISO 17196:2014.
3	Water	0.03	% by mass	ISO 17197:2014.
4	Hydrocarbons upto C4	1.00	% by mass	ISO 17196:2014
5	Carbon Dioxide	0.10	% by mass	ISO 17196:2014
6	Carbon Monoxide	0.010	% by mass	ISO 17196:2014
7	Methyl Formate	0.05	% by mass	ISO 17196:2014
8	Ethyl Methyl Ether	0.20	% by mass	ISO 17196:2014
9	Evaporation Residues	0.0070	% by mass	ISO 17786:2015
10	Total Sulphur	3.0	mg/kg	ISO 17198:2014.

[F.No. RT-11028/02/2017-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R.....(E), dated